

¹[नियम 138ड. : प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग क में जानकारी देने पर निर्बंधन

नियम 138 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत परेषक, परेषिति, मालवाहक, ई-कामर्स प्रचालक या कुरियर अभिकरण भी है)²[रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा माल के किसी भी जावक संचलन के संबंध में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग क में जानकारी देने से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा] जो,—

(क) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला व्यक्ति ³[या भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2019-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 7 मार्च, 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 189 तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के लाभ का उपभोग करने वाला] है, उसने दो लगातार ⁴[तिमाही] के लिए ⁵[प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में विवरण] प्रस्तुत नहीं की है; या

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, उसने ⁶[दो कर अवधि] की लगातार अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है;

⁷[ग] खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ने, यथास्थिति, दो मास के लिए या दो तिमाही के लिए जावक प्रदायों का विवरण नहीं दिया है।]

⁸[घ) एक व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रकरण नियम 21(क) के उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) अथवा उपनियम (2क) के प्रावधानों के अधीन निलंबित कर दिया गया है।

¹ अधिसूचना क्रमांक 74/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31.12.2018 द्वारा नियम 138ड. अंतःस्थापित। यह संशोधन अधिसूचना क्रमांक 36/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2019 द्वारा 21.11.2019 से प्रभावशील किया गया।

² अधिसूचना क्रमांक 15/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा “रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-01 के भाग क में जानकारी देने से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा चाहे वह प्रदायकर्ता हो या प्राप्तकर्ता” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)।

³ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा “कर अवधियों” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

⁵ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा “विवरणी” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

⁶ अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा “दो मास” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

⁷ अधिसूचना क्रमांक 75/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2020 द्वारा खंड (ग) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 11.01.2020)।

⁸ अधिसूचना क्रमांक 94/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा खंड (घ) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.12.2020)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

परन्तु आयुक्त ⁹[प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-05 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवेदन की प्राप्ति पर] पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तथा लिखित में ¹⁰[वे कारण, जो आदेश द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-06 में लेखब) किए जाए] ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में उक्त जानकारी प्रस्तुत करना आदेश द्वारा अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु यह और कि पहले परंतुक के अधीन प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ऐसे व्यक्ति के अनुरोध को निरस्त करने वाला कोई आदेश उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना निरस्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई अनुज्ञा, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई समझी जाएगी।

¹¹[परन्तु यह भी कि उक्त निर्बंधन 20 मार्च, 2020 से 15 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी या प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 में विवरण फरवरी, 2020 से अगस्त, 2020 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।]

¹²[परन्तु यह भी कि उक्त निर्बंधन 1 मई, 2021 से 18 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान उस दशा में लागू नहीं होगा, जहां, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी या प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-8 में विवरण मार्च, 2021 से मई, 2021 की अवधि के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।]

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “आयुक्त” पद से खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में अधिकारिता वाला आयुक्त अभिप्रेत होगा।]

⁹ अधिसूचना क्रमांक 33/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.07.2019)।

¹⁰ अधिसूचना क्रमांक 33/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 18.07.2019 द्वारा “कारण लेखब) किए जाने पर आदेश द्वारा” के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.07.2019)।

¹¹ अधिसूचना क्रमांक 79/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 द्वारा परंतुक स्थापित (प्रभावशील दिनांक 20.03.2020)।

¹² अधिसूचना क्रमांक 32/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.08.2021 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.05.2021)।